रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032020-218873
CG-DL-E-23032020-218873

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1068] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2020/फाल्गुन 30, 1941
No. 1068] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2020/PHALGUNA 30, 1941

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2020

का.आ. 1196(अ).—जबकि, तत्कालीन कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 325(अ), तारीख 11 मई, 1992 ने भारत में निकोटीन सल्फेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था, किंतु केवल निर्यात के प्रयोजनों के लिए देश में इसका उत्पादन जारी रखने की अनुज्ञा दी थी;

और जबकि, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग ने अधिसूचना संख्या का.आ. 679(अ), तारीख 17 जुलाई, 2001 को देश में शुष्क बीज उपचार के लिए केपटाफोल 80 प्रतिशत चूर्ण के विनिर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु केवल निर्यात के प्रयोजनों के लिए देश में इसका उत्पादन को जारी रखने की अनुज्ञा, कतिपय शर्तों के अधीन दी थी ;

और जबकि, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने अधिसूचना संख्या का.आ. 3951 (अ), तारीख 8 अगस्त, 2018 को कतिपय कीटनाशकों, डिक्लोरवोस, फ़ोरेट, और ट्रायाज़ोफ़ोस सहित, के निर्माण, आयात, विनिर्माण, परिवहन, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था, और उसी के लिए दिए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र को वापस लिया और रद्द कर दिया था;

और जबकि, डिक्लोरवोस, फ़ोरेट, और ट्रायाज़ोफ़ोस को केवल निर्यात के प्रयोजनों के लिए देश में इसका उत्पादन को जारी रखने के संबंध में कीटनाशक संगमों और कंपनियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए, केंद्रीय सरकार

डिक्लोरवोस, फ़ोरेट, और ट्रायाज़ोफ़ोस और निकोटीन सल्फेट का विनिर्माण जारी रखने और शुष्क बीज उपचार के लिए केपटाफोल 80 प्रतिशत चूर्ण के केवल निर्यात के प्रयोजनों के लिए विनिर्माण की अनुज्ञा देने का निर्णय लिया है;

अत: अब केंद्रीय सरकार इसलिए, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में विनिर्दिष्ट रूप से यहाँ प्रदान की गई सीमा तक, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. कोई भी रजिस्ट्रान्ट जिसे केवल निर्यात के प्रयोजनों के लिए डिक्लोरवोस या फ़ोरेट, या ट्रायाज़ोफ़ोस के विनिर्माण की अपेक्षा है या निकोटीन सल्फेट या शुष्क बीज उपचार के लिए केपटाफोल 80 प्रतिशत चूर्ण का निर्माण जारी रखता है उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के लिए कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अलावा इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रोफ़ार्मा में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. प्रत्येक रजिस्ट्रान्ट जिसके पास रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र पैरा 1 के तहत दिया गया है, कीटनाशी नियम 1971 के नियम 15 के उप-नियम (5) के अधीन प्रारूप तीन के परिशिष्ट घ 1 और परिशिष्ट घ 2 के अनुसार मासिक कथन संबंधित अनुज्ञापन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

3. डिक्लोरवोस या फ़ोरेट, या ट्रायाज़ोफ़ोस के विनिर्माण या निकोटीन सल्फेट और शुष्क बीज उपचार के लिए केपटाफोल 80 प्रतिशत चूर्ण का निर्माण जारी रखने के लिए इस अधिसूचना के तहत दी गई अनुज्ञा रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी और ऐसी अनुज्ञा जारी रखने के लिए, रजिस्ट्रान्ट कीटनाशकों के उत्पादन और निर्यात के ब्यौरों के साथ फिर से आवेदन करेंगे।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवंत होगी।

(टाइप किया जाना है - 100/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र को नोटेरी पब्लिक के समक्ष आवेदक द्वारा सम्यक रूप से पहचाना यथास्थिति और शपथ दिलाया जाता है और डाइक्लोरोवोस / फोरेट / ट्रायजोफोस / निकोटीन सल्फेट और कैप्टाफोल 80% को कीटनाशी धारा 9 (3) या धारा 9 (4) जैसा हो, के अधीन निर्यात के लिए रजस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के साथ केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजस्ट्रीकरण समिति के अनुभाग को प्रस्तुत किया जाता है।)

नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित सम्यक हाल ही में पासपोर्ट फोटो चिपकाने के लिए स्थान

शपथ पत्र

सचिव केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजस्ट्रीकरण समिति, संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, राष्ट्रीय राजमार्ग IV, फरीदाबाद के समक्ष

मैं, (श्री / श्रीमती / सुश्री / डॉ.) ……………………………….. (अभिसाक्षी का नाम) …………………….. पुत्र / पुत्री / पत्नी/श्री…………………………………निवासी/कार्यालय…………………………………………………………… दरने वाले को अधिकृत व्यक्ति / स्वामी/स्वत्वधारी/ भागीदार /निदेशक के रूप में प्राधिकृत किया जा रहा है। (यथास्थिति हो) ………………………………………. करते हैं इसके तहत पूरी तरह से शपथ और राज्य के तहत शपथ:

1. उस अभिसाक्षी कंपनी / फर्म ने …………… के निर्यात के लिए रजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को आवेदन किया था। (डाइक्लोरोवोस / ट्रायाज़ोफ़ॉस / फोरेट / कैप्टाफोल 80% पाउडर / निकोटीन सल्फेट) ………….. (क्या तकनीकी / निरूपण) धारा 9 (3) / 9 (4) के तहत (यथास्थिति हो) रजस्ट्रीकरण समिति के निर्णयों के मद्देनजर फाइल नंबर ……………, कंप्यूटर सीरियल नंबर ………… दिनांकित ………… और आगे की राजपत्र की अधिसूचना संख्या …………. के मद्देनजर। दिनांकित …………… डाइक्लोरोवोस / ट्रायाज़ोफ़ॉस / फोरेट / कैप्टाफोल 80% पाउडर / निकोटीन सल्फेट के निर्यात की अनुमति।

2. अभिसाक्षी पर शपथ लेता है कि उत्पाद …………….. डाइक्लोरोवोस / ट्रायाज़ोफ़ॉस / फोरेट / कैप्टाफोल 80% पाउडर / निकोटीन सल्फेट) क्योंकि यह मामला केवल निर्यात के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से निर्मित किया जाएगा और किसी भी स्थिति में भारत देश की प्रादेशिक सीमा के भीतर किसी भी अन्य क्षेत्र में अपर्वतन या साइफंड आफ नहीं किया जाएगा।

3. कि इस शपथ पत्र / उपक्रम की सामग्री सच और सही है और किसी भी वास्तविक तथ्यों में गलत नहीं है।

4. अभिसाक्षी सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और शपथ ग्रहण लेता है कि अगर ऊपर बताये गए कथन किसी भी वास्तविक विधिस्थिता में गलत पाई गई है या अन्यथा गलत है, तो अभिसाक्षी और फर्म / कंपनी धोखे का अभ्यास करने और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए विधिक कार्यवाई सहित संबन्धित कानूननों के सहित परिणामों/ अन्य गंभीर परिणाम और कार्यवाई के लिए दायी होंगे।

सत्यापन

कि मैं ……………….. पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्री ……………., उपरोक्त नामांकित व्यक्ति घोषणा करते हैं और सत्यापित करते हैं कि इस शपथ पत्र की सामाग्री मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है। घोषित कुछ भी गलत नहीं है और वहां से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

इस सत्यापित का दिवस …………………………(माह और वर्ष) पर ……………………………

अभिसाक्षी

[फा. सं. 13035/31/2013-PP-I (Vol. III)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग- II, खंड 3, उप - खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

का. आ. 325(अ), तारीख 11 मई, 1992

का. आ. 679(अ), तारीख 17 जुलाई, 2001,

का. आ. 3951(अ), तारीख 8 अगस्त, 2018

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2020

S.O. 1196(E).—Whereas, the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation *vide* notification number S.O. 325(E), dated the 11th May, 1992 had prohibited the use of Nicotine Sulphate in India, but permitted continued production of the same in the country only for export purposes;

And Whereas, the erstwhile Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation *vide* notification number S.O. 679(E), dated the 17th July, 2001 had banned the manufacture of Captafol 80% powder for dry seed treatment for use in the country, but the manufacture was permitted to continue for export purposes only, subject to certain conditions;

And Whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers' Welfare *vide* notification number S.O. 3951(E), dated the 8th August, 2018, had prohibited the manufacture, import, formulate, transport, sale and use of certain pesticides, including Dichlorvos, Phorate and Triazophos and had called back and cancelled the certificate of registration granted for the same;

And Whereas, having regard to the representations received from various pesticides associations and companies to allow manufacture of Dichlorvos, Phorate, Triazophos for export purposes only, the Central Government has decided to permit manufacture of Dichlorvos, Phorate and Triazophos and continued manufacture of Nicotine Sulphate and Captafol 80% powder for dry seed treatment;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) and in partial modification of the said notifications to the extent specifically provided herein, the Central Government hereby makes the following order, namely:-

1. Any registrant who requires to manufacture Dichlorvos or Phorate or Triazophos or continue to manufacture Nicotine Sulphate or Captafol 80% powder for dry seed treatment for the export purposes only shall submit an Affidavit in the proforma appended to this notification, in addition to the procedure specified in rule 6 of the Insecticides Rules, 1971 for obtaining the certificate of registration.

2. Every registrant to whom certificate of registration has been granted under paragraph 1 shall submit a monthly statement or return to the concerned Licensing Officer in Appendix D1 and Appendix D2 to Form III as required under sub-rule (5) of rule 15 of the Insecticides Rules, 1971.

3. The permission granted under this notification for manufacture of Dichlorvos, Phorate and Triazophos or continued manufacture of Nicotine Sulphate and Captafol 80% powder for dry seed treatment shall be for a period of three years from the date of grant of registration and the registrants shall reapply for continuation of such permission along with details of production and export of such pesticides during the period of permission.

4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(To be typed on Rs. 100/- non judicial stamp paper duly identified and sworn to by the applicant before a notary public and submitted to the Sectt. Of Central Insecticide Board & Registration Committee along with application for certificate of registration for export of *Dichlorvos/Phorate/Triazophos/Nicotine Sulphate and Captafol 80% powder* Insecticide under section 9(3) or section 9(4), as the case may be)

AFFIDAVIT

Space for affixing recent passport photo duly attested by notary

BEFORE THE SECRETARY, CENTRAL INSECTICIDE BOARD AND REGISTRATION COMMITTEE, DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION, QUARANTINE AND STORAGE, NH IV, FARIDABAD

I, (Shri/ Mrs./Ms/Dr.)…………………………… (name of the deponent)……………..…. S/o/D/o/W/o/Sh…………………………………R/o……………………………………being authorised person as Owner/Manager/Proprietor/Partner /Director (as the case may be)……………………………..do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That deponent's company/firm had applied for the certificate of registration for the export of .....*Dichlorvos/ Phorate/ Triazophos/ Nicotine Sulphate/ Captafol 80% powder* under section 9(3) or section 9(4) (as the case may be) *vide* File No………computer Serial No…………….dated…………in view of the decisions of the Registration Committee and further Gazette notification number ………dated………permitting the export of *Dichlorvos/Phorate/ Triazophos/Nicotine Sulphate/Captafol 80% powder.*
2. That the deponent swears on oath that the product…………… *Dichlorvos/ Phorate/ Triazophos/Nicotine Sulphate/Captafol 80% powder* as the case may be shall be manufactured exclusively for the purposes of export only and in no case the same shall be diverted/siphoned off in any other area within the territorial limits of the India.
3. That the contents of this affidavit are true and correct and not false in any material facts.
4. The deponent solemnly affirms and swears on oath that if anything stated herein above is found to be false in any material particulars or otherwise incorrect, the deponent and the firm/company shall be liable for legal consequences/action for practicing deception and giving false evidence as per the relevant Laws including other severe consequence/action.

VERIFICATION

That I,..............S/o,D/o,W/o, Sh................, the above named deponent do hereby declare and verify that the contents of this affidavit are true, correct to the best of my knowledge and belief. Nothing declared is false and nothing has been concealed there from.

DEPONENT

Verified on this day.......... of .... (Month & year) at...........................

DEPONENT

[F. No. 13035/31/2013-PP-I (Vol.III)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal notification was published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* numbers –

(i) S.O. 325 (E), dated the 11th May, 1992.
(ii) S.O. 679 (E), dated the 17th July, 2001.
(iii) S.O. 3951(E), dated the 8th August, 2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.23 23:11:23 +05'30'